कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।
पत्रांकःम–165/डी०डी०/फा०स०/मेरठ–14 (गौत०)/869 दिनांकः 2-10-2014
सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स प्रीमियर इन्फोमेशन टेक्नोलोजी पार्क्स प्रा० लि० द्वारा प्लाट न०–22 सेक्टर–आईटी नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप आवासीय एवं होटल भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी 2014/3640/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/537/डीडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय एवं सर्विसेज भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 22–09–2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– प्लाट एरिया–60180.00 वर्ग मी०।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	टिपिकल एरिया वर्ग मी०	ऊँचाई मी०
1	आवा० टावर–01	मल्टीलेवल पार्किंग एवं 14	588.241	58.20
2	आवा० टावर–02	मल्टीलेवल पार्किंग एवं 16	529.70	58.20
3	सर्विस/ होटल टावर	भूतल, सर्विस एवं 13	635.35	58.65
4	उपभोग योग्य व्यवस्थित कार्य स्थल	भूतल एवं 17	535.74	58.2
5	व्यापार केन्द्र (अन्य फैसिलिटीज)	भूतल एवं 06	968.76/873.014	23.55
6	रिटेल ब्लाक	भूतल एवं प्रथम	3582.67 एवं 1956.22	10.200
7	मल्टीलेवल पार्किंग आवासीय हेतु	भूतल एवं 02 तल	1874.85	10.200
8	मल्टीलेवल पार्किंग रिटेल हेतु	भूतल एवं 02 तल	923.681	10.200
9	बेसमेन्ट		17,300.97	

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग मिश्रित (एन०बी०सी०–2005) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

संरचनागत व्यवस्थाः–

1– **पहुँच मार्गः–** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी० मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

2– **सैटबेकः–** प्रस्तावित भवन का ए०–अग्रभाग–25.00
बी०–पृष्ठ भाग–10.00।
सी०–पार्श्व भाग प्रथम–10.00
डी०–पार्श्व भाग द्वितीय–10.00 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरो के चारो 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– **निकास मार्गः–**प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौडाई 1.5 मी० है, तथा रिटेल में 04 स्टेयर जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेंन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4– **रिफ्यूज एरियाः–** भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है तथा सर्विस/ होटल में रिफ्यूज एरिया एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

ब–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना वॉछनीय है।

1–**भूमिगतः–** प्रश्नगत भवन में 2,00,000 लीटर लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक मानको के अनुसार वॉछनीय है।

2–पम्पस:– भूमिगत टैंक के पास अग्निशमन कार्यो हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 02 अदद मेन विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंक:– समस्त टावरो की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0, एवं 20,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–टेरिस पम्पः प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एलपी0एम0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–होजरील मय डाउनकानर– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं आई0एस0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजर– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– सम्पूर्ण टावरो व पूरे भवन के बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:– समस्त टावरो मे ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम– सम्पूर्ण भवन /टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन– प्रश्नगत भवन मे डक्टिड स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–एग्जिट साईनेज– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–पी0ए0 सिस्टम– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–प्रशिक्षित स्टॉफ– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स प्रीमियर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी पार्क्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–22 सेक्टर–आईटी नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग एवं होटल भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अजय शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस,
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपिः 1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–मैसर्स प्रीमियर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी पार्क्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–22 सेक्टर–आईटी नालेज पार्क ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।